



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 622-पारे०अनु०-०४/पाद्राकालि-2023-18/14 टी०सी०-।

दिनांक: 15 सितम्बर, 2023

**कार्यालय ज्ञाप**

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 06/2022/आई/154233/2022/फा०नं०-10-19099/141/2021-22 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/व्यवस्था को निर्गत किया गया है। उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये स्पष्टीकरण/व्यवस्था को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-1232-पें०एवंआर०-28/पाकालि/23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक 21.07.2023 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या : 06/2022/आई/154233/2022/फा०नं०-10-19099/141/2021-22 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 की अनुरूपता में निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-1232-पें०एवंआर०-28/पाकालि/23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक 21.07.2023 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं में उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**

संख्या-622(i)-पारे०अनु०-०४/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, किभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
- 7- संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 12- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या-92(29) के सन्दर्भ में।
- 13- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
*Satyarth*  
(सत्यार्थ गंगवार)  
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)



प्रेषक,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97, दिनांक 20 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त आदेशों में से शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97 दिनांक 01 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-5 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य ही होगी।

3- तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का पात्रता के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/13/09-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-6 में यह स्पष्टीकरण/व्यवस्था दी गयी है कि "ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दायर की गई कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 19 जुलाई, 2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दायर की गई कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक आरोक्तानुसार।

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
महोदय/लेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।





उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14- अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ  
U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1232-पै०एवंआर०-28 / पाकालि / 23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 06 / 2022 / आई / 154233 / 2022 / फा०नं०-10-19099 / 141 / 2021-22, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो उ०प्र०शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या : 6-सा-3-227 / दस-2014-308 / 97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 की अनुसारिता में जारी किया गया है, द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/व्यवस्था को निर्गत किया गया है, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1232-पै०एवंआर०-28 / पाकालि / 23 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कैस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या-192(24) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

श. शमशाद  
21/07/23

(शमशाद अहमद)  
अपर सचिव (तृतीय)